न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–40/2020 दायर दिनाँक 19.11.2020

आवेदक		अनावेदकगण
1. रामकरण पुत्र हनमाना राम जाति जाट निवासी अम्बापा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. डालूराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी अम्बापा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री शिवभगवान चौधरी वकील प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 09.01.2025

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक उपखण्ड डीडवाना में ग्राम अम्बापा में स्थित खेत खसरा नम्बर 03 रकबा 14.03 हैक्टे0 के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

अनावेदक की तरफ से वकील श्री ओमप्रकाश पूनियां का वकालतनामा पेश हुआ।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही व उन्होने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 111 दिनॉक 13.02.2023 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी। तहसीलदार डीडवाना की उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 3 के निकटतम खसरा सं0 15 व 16 लगते है। खसरा सं0 3 में से आने जाने हेतु निकटतक खसरा सं0 15 में से उप–निदेशक पशुपालन विभाग कुचामन सिटी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके खसरा सं0 190/15 रकबा 0.1618 हैक्टे0 है। जिसे पार्टी नही बनाया गया है। तथा खसरा सं0 03 के निकटतम रास्ता खसरा सं0 16 में लगता है। जिसके [illegible] भी उक्त वाद में शामिल नही किया गया है।

ग्राम अम्बापा के में स्थित खेत [illegible] 03 रकबा 14.03 हैक्टे0 में आवागमन हेतु [illegible] रास्ता उपलब्ध [illegible] की प्रार्थी मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा [illegible] (1) में संशोधन होने के बाद एक [illegible] में आने–जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:13 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के अनुसार खसरा सं0 3 में आने जाने हेतु चाहा गया रास्ता खसरा सं0 15 में से है। यह खसरा उप–निदेशक पशुपालन विभाग कुचामन सिटी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपनिदेशक पशुपालन विभाग को पक्षकार नही बनाया गया है। खसरा सं0 03 के निकटतम रास्ता खसरा सं0 16 में से लगता है। प्रार्थी को चाहा गया रास्ता उपलब्ध नही कराया जा सकता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है। रिपॉर्ट मुताबिक व उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **09.01.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:13 IST
Reason: SelfAttested